पर्व — 1955



# बिहार श्वेताम्बर जैन धार्मिक न्यास नियमावली, 1955

**अधिसूचना सं॰ 199 डी, 15 जनवरी, 1995.**—बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 (1951 का प्रथम अधिनियम) की धारा 82 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, निम्न नियमावली बनाते हैं, जिसका प्रकाशन उक्त धारा की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार पहले किया जा चुका है, अर्थात्:–

**1.** संक्षिप्त नाम।–यह नियमावली "बिहार श्वेताम्बर जैन धार्मिक न्यास नियमावली, 1955" कहलाएगी।

**2.** यह नियमावली उस तारीख को लागू होगी जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करेगी।

**3.** इस नियमावली में, जबतक कोई बात विषय या संदर्भ में विसंगत नहीं होगी, तबतक :–

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950;

(ख) "धारा" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा;

(ग) "हस्ताक्षर" के अन्तर्गत, अशिक्षित व्यक्तियों की दशा में, अंगूठे का निशान भी सम्मिलित है; परंतु अंगूठे का निशान साक्षर व्यक्ति द्वारा सम्यक रूप से अभिप्रमाणित किया हुआ होना चाहिए;

(घ) "फारम" से अभिप्रेत है इस नियमावली से संलग्न फारम;

(ङ) "पर्षद्" से अभिप्रेत है बिहार राज्य श्वेताम्बर जैन धार्मिक न्यास पर्षद्;

(च) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है बिहार राज्य श्वेताम्बर जैन धार्मिक न्यास पर्षद् का अध्यक्ष;

(छ) "निर्वाची पदाधिकारी" के अन्तर्गत कोई अन्य पदाधिकारी भी सम्मिलित है, जिसे निर्वाची पदाधिकारी ने, लिखित रूप में, इस नियमावली के अधीन अपने कोई या सभी कृत्य सौंप दिये हों।

**4.** (1) धारा 8 की उपधारा (2) के खंड (ख) और (ग) के अधीन बिहार राज्य श्वेताम्बर जैन धार्मिक न्यास पर्षद् के सदस्यों का निर्वाचन डाक द्वारा मतदान से और एकल संक्रमणीय मत के जरिए होगा।

(2) (क) धारा 8 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन सदस्यों के निर्वाचन के सम्बन्ध में निर्वाचक-नामावली देवनागरी लिपि, हिन्दी में धारा 34 के अधीन संधारित न्यासों की पंजी के आधार पर अध्यक्ष द्वारा तैयार की जाएगी।

(ख) खंड (क) के अधीन तैयार की गई निर्वाचक-नामावली में निम्न विवरण होंगे:–

(i) हरेक निर्वाचक का नाम;

(ii) हरेक निर्वाचक का डाक-पता

(iii) हरेक निर्वाचक के पिता या आध्यात्मिक गुरु का नाम;

(iv) हरेक न्यासों के नाम जिनका निर्वाचक न्यासी हो।

(ग) धारा 8 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन सदस्यों के निर्वाचन के सम्बन्ध में निर्वाचक-नामावली देवनागरी लिपि, हिन्दी में अध्यक्ष द्वारा तैयार की जाएगी। अध्यक्ष तारीख नियत करते हुए, जो नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों से पहले की नहीं होगी, राज्य में प्रकाशित कम-से-कम

दो हिन्दी समाचारपत्रों में नोटिस प्रकाशित करेगा, जिस तारीख के भीतर निर्वाचक-नामावली में सदस्यों के पंजीयन के लिए आवेदन-पत्र लिए जाएंगे। वैसे आवेदन-पत्रों के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और आवेदन-पत्र पर्षद्-कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किये जा सकेंगे या डाक से भेजे जा सकेंगे।

(घ) निर्वाचक-नामावली, पर्षद्-कार्यालय के किसी सहजदृश्य स्थान में लटका दी जाएगी और धारा 34 के अधीन के सभी पंजीकृत कार्यालयों में इसकी जानकारी भेज दी जाएगी।

(ङ) निर्वाचक-नामावली में हुई किसी भूल के सम्बन्ध में कोई आपत्ति, नामावली के इस प्रकार लटकाए जाने की तारीख से पन्द्रह दिनों के भीतर लिखित रूप में, अध्यक्ष के समक्ष दाखिल की जा सकेगी और यदि इस अवधि के भीतर कोई आपत्ति दाखिल नहीं की जाएगी तो निर्वाचक-नामावली अंतिम मानी जाएगी। इस अवधि के बाद दाखिल की गई आपत्ति खारिज कर दी जाएगी।

(च) खंड (ग) के अधीन दाखिल की गई आपत्ति पर, यदि हो, अध्यक्ष संक्षिप्त जांच कर अपना निर्णय अभिलिखित करेगा, जो अंतिम होगा। निर्वाचक-नामावली, यदि आवश्यक हुआ तो, अध्यक्ष के निर्णय के अनुसार, संशोधित कर दी जाएगी और उसके बाद नामावली अंतिम मानी जाएगी।

(छ) अध्यक्ष, अंतिम निर्वाचक-नामावली की कम-से-कम दो प्रतियां, यथाशीघ्र, निर्वाची अधिकारी के पास भेज देगा।

**5.** नियम 4(1) के अधीन सदस्यों के निर्वाचन के सम्बन्ध में निम्न प्रक्रिया अपनाई जाएगी, अर्थात्:-

(क) नियम 4 (1) के अधीन निर्वाचन संचालित करने के लिए अध्यक्ष, निर्वाची पदाधिकारी होगा।

(ख) निर्वाची पदाधिकारी निम्न नियत करेगा–

(i) मनोनयन के लिए अंतिम तारीख, जो निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में ऐसी अंतिम तारीख नियत करनेवाले आदेश के प्रकाशन की तारीख से पन्द्रहवां दिन के बाद और दसवां दिन से पहले की न होगी;

(ii) मनोनयन के परिनिरीक्षण की तारीख, जो मनोनयन की अंतिम तारीख से पांचवा दिन के बाद की न होगी;

(iii) उम्मीदवारी की वापसी के लिए अंतिम तारीख, जो मनोनयन के परिनिरीक्षण की तारीख के बाद सातवां दिन होगी;

(iv) तारीख या तारीखें जब, यदि आवश्यक हों, मतदान लिया जाएगा, और जो या जिनमें से प्रथम वह तारीख होगी जो उम्मीदवारी की वापसी की अंतिम तारीख से तीसवां दिन से पहले की न होगी; और

(v) मतगणना के लिए कोई अगली तारीख, जो मतदान लिये जाने की तारीख या मतदान की अंतिम तारीख से सातवां दिन से बाद की नहीं होगी;

परंतु, यदि किसी कारणवश इस प्रकार नियत की गई तारीख पर मतगणना सम्पन्न न हो तो अनुवर्त्ती तारीख या तारीखों पर मतगणना जारी रहेगी, जबतक वह सम्पन्न न हो जाए।

(ग) खंड (ख) के अधीन नियत की गई तारीखें निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में, पर्षद्-कार्यालय में और राज्य में प्रसारित होनेवाले एक अंग्रेजी और एक हिन्दी दैनिक के कम-से-कम एक अंक में प्रकाशित की जाएंगी और इसके बारे में जानकारी धारा 34 के अधीन पंजीकृत न्यास के सभी पंजीकृत कार्यालयों को भेजी जाएगी।

(घ)(i) मनोनयन के लिए खंड (ख) (i) के अधीन नियत तारीख को या उसके पहले प्रत्येक उम्मीदवार स्वयं या अपने प्रस्तावक या अनुमोदक द्वारा, पूर्वाह्न ग्यारह बजे और अपराह्न तीन बजे के बीच, फारम 3 में पूर्ण मनोनयन-पत्र मनोनयन की सहमति में स्वयं हस्ताक्षर करके और खंड (ii) में निर्दिष्ट प्रस्तावक और अनुमोदक के रूप में दोनों व्यक्तियों के हस्ताक्षर सहित, निर्वाची पदाधिकारी के पास उसके कार्यालय में सौंप देगा।

(ii) कोई व्यक्ति, जिसका नाम निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक-नामावली में पंजीकृत हो, मनोनयन-पत्र पर प्रस्तावक या अनुमोदक के रूप में हस्ताक्षर कर सकेगा।

(iii) हरेक मनोनयन-पत्र के साथ उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षरित यह लिखित घोषणा-पत्र संलग्न रहेगा कि निर्वाचित होने पर वह पर्षद् की सेवा करने को तत्पर है और वह हिन्दू है; और कोई भी उम्मीदवार उस समय तक सम्यक रूप से मनोनीत नहीं समझा जाएगा जबतक उसके मनोनयन-पत्र के साथ ऐसा घोषणा-पत्र संलग्न न हो।

(iv) उम्मीदवारों के मनोनयन के लिए नियत की गई तारीख को तीन बजे अपराह्न के बाद प्राप्त होनेवाला मनोनयन-पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(v) खंड (घ) (i) के अधीन मनोनयन-पत्र की प्राप्ति पर, निर्वाची पदाधिकारी, इसे सौंपने वाले व्यक्ति को मनोनयन-पत्र के परिनिरीक्षण के लिए नियत किये गए तारीख, समय और स्थान की जानकारी देगा और तत्पश्चात् यथासंभव शीघ्र अपने कार्यालय के किसी सहजदृश्य स्थान में उम्मीदवार और उन व्यक्तियों, जिन्होंने मनोनयन-पत्र में प्रस्तावक और अनुमोदक के रूप में हस्ताक्षर किये हैं, दोनों, के मनोनयन-पत्र की नोटिस चिपकवा देगा।

(vi) कोई उम्मीदवार निर्वाची पदाधिकारी को अपने हस्ताक्षर के साथ लिखित नोटिस देकर उम्मीदवारी की वापसी के लिए नियत की गई तारीख को अपराह्न तीन बजे के पहले अपनी उम्मीदवारी वापस ले सकेगा। किसी उम्मीदवार को, जिसने अपनी उम्मीदवारी इस तरह वापस ले ली हो, इसे रद्द करने या इसी निर्वाचन के लिए उम्मीदवार के रूप में मनोनीत किये जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(vii) खंड (घ) (vi) के अधीन वापसी की नोटिस की प्राप्ति पर निर्वाची पदाधिकारी यथासंभव शीघ्र वापसी की एक नोटिस अपने कार्यालय के किसी सहजदृश्य स्थान में चिपकवा देगा।

(viii) मनोनयन-पत्रों के परिनिरीक्षण के लिए निर्वाची-पदाधिकारी द्वारा नियत समय और स्थान पर उम्मीदवार, हरेक उम्मीदवार के एक प्रस्तावक और एक अनुमोदक को छोड़कर अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेगा और निर्वाची पदाधिकारी, सभी उम्मीदवारों के उन मनोनयन-पत्रों, जो नियत, समय के भीतर और इस नियमावली में विहित की गई रीति से दिये गये हों, की जांच के लिए उन्हें सभी समुचित सुविधाएं प्रदान करेगा।

उसके बाद निर्वाची पदाधिकारी मनोनयन-पत्रों की जांच करेगा और किसी मनोनयन-पत्र पर की गई सभी आपत्तियों पर अपना निर्णय देगा और ऐसी आपत्ति पर या स्वत: ऐसी संक्षिप्त जांच के बाद, यदि कोई हो, जैसा वह आवश्यक समझे, किसी मनोनयन-पत्र को अस्वीकृत कर सकेगा जिससे इस नियमावली के किन्हीं

उपबन्धों का उल्लंघन होता हो। निर्वाची-पदाधिकारी प्रत्येक मनोनयन-पत्र पर उसको स्वीकृत या अस्वीकृत करते हुए अपना निर्णय पृष्ठांकित करेगा और ऐसा निर्णय अंतिम होगा।

(ix) मनोनयन-पत्रों के परिनिरीक्षण पूरा करके उस अंतिम तारीख की समाप्ति के बाद जिसके भीतर उम्मीदवारी वापस ली जा सकती हो, निर्वाची अधिकारी तत्काल सम्यक रूप से मनोनीत उम्मीदवारों की सूची देवनागरी लिपि, हिन्दी, में वर्णानुक्रम के अनुसार तैयार करेगा और उसे अपने कार्यालय के किसी सहजदृश्य स्थान में चिपकवा देगा।

(x) यदि विधिवत् मनोनीत उम्मीदवारों की, जिन्होंने अपनी उम्मीदवारी वापस नहीं ली हो, उतनी ही हो जितनी की निर्वाचित की जानी है, तो उन्हें निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा।

(xi) यदि विधिवत् मनोनीत उम्मीदवारों की संख्या निर्वाचित किये जानेवालों की संख्या से अधिक हो तो मतदान लिया जाएगा।

(ङ) मतदान के लिए नियत की गई तारीख से कम-से-कम पन्द्रह दिन पहले निर्वाची पदाधिकारी प्रत्येक निर्वाचक को **फारम-4** में एक मतपत्र रजिस्ट्री डाक से भेजेगा।

(च) (i) अपना मत अभिलिखित करने के बाद निर्वाचक मत-पत्र को रजिस्ट्री डाक से निर्वाची पदाधिकारी को इस तरह से भेजेगा कि मतदान के लिए नियत की गई तिथि को अपराह्न 5 बजे के पहले वह उसके पास पहुंच जाए। उस समय के बाद प्राप्त किये गये मतपत्र अस्वीकृत कर दिये जाएंगे:

परंतु यह कि निर्वाचक स्वेच्छा से मतपत्र डाक से न भेजकर स्वयं भी उपर्युक्त समय तक निर्वाची पदाधिकारी को दे सकेगा।

(ii) कोई निर्वाचन इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगा कि इस नियमावली के अधीन निर्वाचक को सम्यक रूप से भेजा गया मत-पत्र उसे नहीं मिला है।

(छ) निर्वाची पदाधिकारी द्वारा या उसकी निगरानी में मतगणना की जाएगी और प्रत्येक उम्मीदवार या प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत उसके एक प्रतिनिधि को मतगणना के समय उपस्थित रहने का अधिकार होगा।

(ज) (i) (एकल संक्रमणीय मतदाता पद्धति के अनुसार परिगणित) अधिकतम मत प्राप्त करनेवाला उम्मीदवार विधिवत् निर्वाचित घोषित किया जाएगा।

(ii) जब किन्हीं उम्मीदवारों के बीच प्राप्त मत बराबर-बराबर हों और मत की बढ़ती उम्मीदवारों में से किसी को निर्वाचित घोषित होने का हकदार बनाता हो तो इस बात का निश्चय कि ऐसा एक अतिरिक्त मत किसे दिया गया समझा जाय, निर्वाची अधिकारी की उपस्थिति में भाग्य-पत्रक (लौट) निकाल कर उस रीति से किया जाएगा जो वह निश्चित करेगा।

(iii) निर्वाचक के परिणाम की घोषणा होते ही, निर्वाची पदाधिकारी निर्वाचित उम्मीदवारों के नाम बिहार गजट में प्रकाशन के लिए राज्य सरकार को प्रतिवेदित कर देगा।

(झ) पूर्वगामी नियम के अधीन निर्वाचित घोषित किसी उम्मीदवार के विरुद्ध निर्वाचन-याचिका निर्वाचन का परिणाम घोषित होने की तारीख से चौदह दिन के भीतर, निर्वाची पदाधिकारी

को. किसी उम्मीदवार या निर्वाचक द्वारा प्रस्तुत की जा सकेगी। उक्त अवधि की समाप्ति के बाद दी गई याचिका अस्वीकृत कर दी जाएगी।

(ञ) यदि खंड (झ) के अधीन याचिका अस्वीकृत नहीं की गई हो तो राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से नियुक्त प्राधिकारी द्वारा उक्त याचिका के सम्बन्ध में जांच की जाएगी।

(ट) निर्वाचित उम्मीदवार का निर्वाचन शून्य होगा, यदि निर्वाचन भ्रष्टाचार से या प्रलोभन देकर किया गया हो अथवा निर्वाचन के परिणाम पर भ्रष्ट वृत्ति द्वारा मुख्य रूप से प्रभाव पड़ा हो अथवा निर्वाचन के परिणाम पर किसी मनोनयन की अनुचित स्वीकृति या अस्वीकृति अथवा किसी मत की अनुचित प्राप्ति या अस्वीकृति या ऐसे किसी मत, जो शून्य हो, की प्राप्ति द्वारा अथवा अधिनियम या तदधीन निर्मित नियमावली के उपबंधों के उल्लंघन द्वारा मुख्य रूप से प्रभाव पड़ा हो।

(ठ) इस नियमावली के प्रयोजन के लिए "भ्रष्ट वृत्ति" का वही अर्थ है जो इसका राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के सम्बन्ध में है।

(ड) खंड (ञ) के अधीन नियुक्त प्राधिकारी निर्वाचन याचिका का निर्णय करेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।

**6.** (1) पर्षद् या समिति के सदस्य, अध्यक्ष के द्वारा या, यथास्थिति, पर्षद् या समिति के नियमित संकल्प के द्वारा सौंपे गऐ विशेष कार्यों के निष्पादन के लिये ही यात्रा कर सकेंगे।

(2) पर्षद् के अध्यक्ष और सदस्य यात्रा और अन्य भत्तों के प्रयोजन के लिए बिहार यात्रा भत्ता नियमावली के सुसंगत उपबन्धों के अर्थ में क्रमश: प्रथम और द्वितीय कोटि के पदाधिकारी समझे जाएंगे।

(3) यदि पर्षद् या समिति के अध्यक्ष और सदस्य बैठक के समय मुख्यालय (स्टेशन) पर ही हों और बाहर से नहीं आए हों तो वे यात्राभत्ता पाने के हकदार नहीं होंगे, किंतु वे प्रति बैठक 2 रु० वाहन भत्ता लेने के हकदार होंगे।

**7.** धारा 28 की उपधारा (2) के खंड (क) में निर्दिष्ट अभिलेख फारम-1 में निरूपित रीति से तैयार और संधारित किया जाएगा।

**8.** धारा 28 की उपधारा (2) के खंड (द) में निर्दिष्ट खर्चे, पर्षद् द्वारा भूराजस्व के बकाये जैसा वसूलनीय होंगे। वैसे बकाए की वसूली के लिए मांगपत्र अध्यक्ष के हस्ताक्षर से जारी किया जाएगा।

**9.** धारा 30 की उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक नोटिस पावती-सहित रजिस्ट्री डाक से भेजी जाएगी या सम्बोधिती की विधिवत् लिखित रसीद पर हाथोंहाथ दी जाएगी। रसीद देने से इनकार करने पर यह नोटिस दो साक्षियों की उपस्थिति में सम्बोधित के निवास के सहजदृश्य स्थान पर लटका दी जाएगी।

**10.** धारा 43 की उपधारा (1) के तहत दाखिल किया गया कोई आवेदन विधिवत् हस्ताक्षरित और सत्यापित होगा और सम्बद्ध सम्पत्ति को पहचानने के लिए उसमें पर्याप्त ब्योरे होंगे। इस तरह के सत्यापन का फारम वही होगा जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में वादपत्र के सत्यापन के लिए विहित है।

**11.** धारा 43 की उपधारा (2) के तहत सामान्य नोटिस बिहार राज्य में मुद्रित और प्रकाशित अथवा इस राज्य में परिचारित अंग्रेजी और हिन्दी समाचार-पत्र के कम-से-कम एक अंक में प्रकाशित की जाएगी। यदि जिला न्यायाधीश वांछनीय समझे तो वह बिहार में परिचारित अन्य समाचार पत्रों में भी इसके प्रकाशन का आदेश दे सकेगा। सम्बद्ध जिला न्यायाधीश के नोटिस-बोर्ड पर भी यह नोटिस प्रकाशित की जाएगी।

**12.** धारा 44 की उपधारा (1) के तहत अंतरण के आवेदन नोटिस फारम-2 में होगी।

**13.** धारा 59 की उपधारा (1) और (2) में निर्दिष्ट विवरण फारम-1 में प्रस्तुत किये जाएंगे और उसमें समाविष्ट किये जानेवाले ब्योरे वही होंगे जो उस फारम के प्रत्येक मद में बताये गए हों।

**14.** वह प्राधिकारी, जिसके पास धारा 65 की उपधारा (1) के तहत न्यासी अपील कर सकेगा, उस जिला का जिला न्यायाधीश होगा जिसमें सम्बन्धित न्यास की विषय-वस्तु पूर्णत: या भागत: अवस्थित हो।

**15.** धारा 70 की उपधारा (2) के खंड (क) के तहत फीस अध्यक्ष द्वारा परिस्थितियों के अनुसार ऐसी रीति से निर्धारित की जाएगी जो वह सर्वोत्तम समझे:

परंतु अध्यक्ष निर्धारिती को स्वयं या लिखित रूप में इस निमित्त प्राधिकृत अपने किसी अभिकर्ता के जरिए अपने मामले को उसके समक्ष अभ्यावेदित करने का अवसर प्रदान करेगा और इस सम्बन्ध में निर्धारिती द्वारा या उसकी ओर से पेश किया गया दस्तावेजी साक्ष्य, यदि कोई हो, पर विचार करेगा।

**16.** निर्धारण के आदेश के विरुद्ध धारा 70 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन अपील उस जिला के जिला न्यायाधीश के यहां संधार्य होगी जिसमें सम्बन्धित धार्मिक न्यास की विषय-वस्तु पूर्णत: या भागत: अवस्थित हो।

**17.** पर्षद्, राजकीय कोषागार या भारतीय स्टेट बैंक में अध्यक्ष के नाम से एक खाता खोलेगी और धारा 70 की उपधारा (3) के तहत देय फीस, यदि खाता राजकीय कोषागार में खोला जाए तो, चालान के जरिए अथवा कोषागार पदाधिकारी को सम्बोधित डाक मुद्रादेश के जरिए प्रेषण द्वारा; और यदि खाता भारतीय स्टेट बैंक में खोला जाए तो, अध्यक्ष के नाम में या अध्यक्ष को सम्बोधित डाक मुद्रादेश के जरिए प्रेषण द्वारा अदा की जाएगी।

## फारम-1

(नियम 7 और 13 देखें)

1. क्रम सं०....
2. न्यास का नाम....
3. उस ग्राम, डाकघर, थाना, अवर प्रमंडल और जिला के नाम, जिनमें यह अवस्थित है। (निकटतम रेलवे स्टेशन भी)....
4. प्रधान मठ या मंदिर के पड़ोस के छोटे मठों या मंदिरों के नाम और उनकी अवस्थिति..............
5. न्यासियों और प्रबन्धकों के पते सहित नाम; नियुक्ति और पदावधि की समाप्ति की तारीखें भी..................
6. इस सम्बन्ध में ब्योरे कि संस्था का प्रशासन न्यायालय द्वारा तय की गई किसी योजना के तहत होता है या न्यासियों द्वारा बिना किसी नियंत्रण के, तथा ऐसे ब्योरे भी न्यासी और प्रबन्धक के पद के उत्तराधिकार के सम्बन्ध में किसी लेख्य या प्रचलन में कोई उपबन्ध है या नहीं।............

...

7. न्यास की उत्पत्ति या निर्माण के बारे में लेखों के विवरण. ..............
8. संस्थापक या दानकर्त्ता का नाम, यदि ज्ञात हो।............
9. न्यास के उद्देश्य................
10. न्यास द्वारा धारित चल और अचल दोनों सम्पत्तियों के विवरण....................
11. गत वित्तीय वर्ष के भीतर बेची गई, अन्तरित या बन्दोवस्त की गई चल और अचल दोनों सम्पत्तियों के विवरण.... ..............
12. वार्षिक आय (यह पिछले वित्तीय वर्ष की होनी चाहिए और निम्नवत् दिखाई जानी चाहिए)..........................
    (क) सभी स्रोतों से आय:...........................
    और
    (ख) राजस्व, लगान, कर स्थानीय अन्य उपकरों और प्रबंध के खर्चों की कटौती करने के बाद, शुद्ध आय.....................
13. वार्षिक व्यय:
    (क) न्यासियों और प्रबन्धकों के पारिश्रमिक पर...... .............
    (ख) स्थापना और कर्मचारियों पर......................
    (ग) धार्मिक कार्यों पर..................
    (घ) दानों के सम्बन्ध में.............
    (ङ) विविध मदों पर...............
14. अनुसरण किए जानेवाले महत्वपूर्ण आचारों और प्रयोगों के विवरण...............
15. न्यास की सम्पत्ति पर अवभारों के विवरण.................
16. महत्वपूर्ण कोई अन्य सूचना.......................
17. अभ्युक्ति.............

**फारम-2**

(नियम 12 देखें)

सेवा में,

अध्यक्ष,

श्वेताम्बर जैन धार्मिक न्यास पर्षद्।

महोदय,

बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950, की धारा 44 की उपधारा (1) के उपबंध के अनुसार इसमें वर्णित अचल सम्पत्ति को निम्न तरह से अंतरित करने की अनुमति के लिए मैं एतद्द्वारा आवेदन करता हूं:

न्यास विलेख से उद्धरण: —
अंतरित की जानेवाली सम्पत्ति: —
अंतरण का विवरण: —
अंतरण की शर्तें और बंधेजें: —

तारीख.................

न्यासी के हस्ताक्षर..............

### फारम-3
(नियम 5 देखें)

1. उम्मीदवार का नामः —
2. पिता का नामः —
3. आयुः —
4. प्रस्तावक का नामः —(1)
5. प्रस्तावक के हस्ताक्षरः —(1)
6. अनुमोदक का नामः —(1)
7. अनुमोदक के हस्ताक्षरः —(1)

**उम्मीदवार द्वारा घोषणा**

मैं एतद्द्वारा घोषित करता हूँ कि मैं इस मनोनयन से सहमत हूं और मैं...............हिन्दू हूं और निर्वाचन का पात्र हूं।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

**डिलिवरी का प्रमाण-पत्र**

यह मनोनयन पत्र मुझे मेरे कार्यालय में तारीख ................20.....................को.................बजे पूर्वाह्न/अपराह्न डिलिवर (प्रदान) किया गया।

निर्वाची पदाधिकारी।

**परिनिरीक्षण का प्रमाण-पत्र**

मैंने उम्मीदवार, प्रस्तावक और अनुमोदक की पात्रता का परिनिरीक्षण कर लिया है और वे, क्रमशः, निर्वाचन के लिए खड़े होने और मनोनयन का प्रस्ताव और अनुमोदन करने के योग्य हैं।

निर्वाची पदाधिकारी।

### फारम-4
(नियम 5 देखें)

क्रम संख्याः—....................

निर्वाचक का नामः—...............

मैं, (पूरा नाम)................,घोषित करता हूं कि मैं................का सदस्य हूं और मैं हरेक के सामने दी गई प्रधानता के अनुसार उम्मीदवारों को मत देने का इच्छुक हूं।

निर्वाचक के हस्ताक्षर या अंगूठा-निशान।

पता..................

| आवेदकों के नाम | प्रधानता-क्रम |
|---|---|
| (1) | |
| (2) | |
| (3) | |
| (4) | |
| (5) | |